(143)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

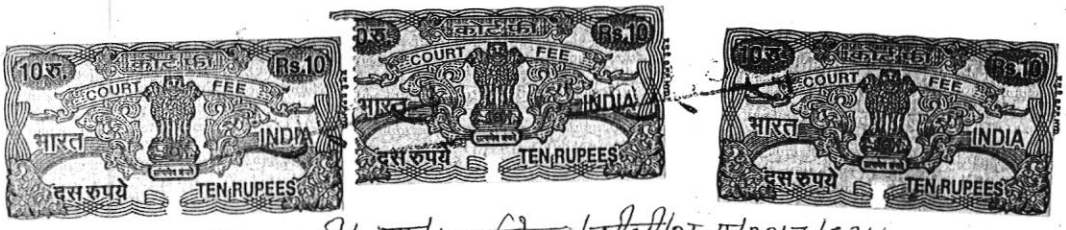

III/पुनर्विलोकन/सीधी/भू.रा./2017/6316

मुस. पार्वती देवी पत्नी द्वारिका प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम चोरहट तह. चोरहट जिला सीधी म.प्र. .....आवेदिका

बनाम

ददिया यादव तनय देवशरण यादव निवासी ग्राम चोरहट तह. चोरहट जिला सीधी म.प्र.....अनावेदक

पुर्नबिलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.

निगरानी प्र.क्र.–12/2/2006 में पारित आदेश

दिनांक 04.10.17

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे आवेदिका निम्न लिखित आधार पर पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिनयी है:–

संक्षिप्त तथ्य

आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र.क्र.–419/98–99 मे पारित आदेश दिनांक 29.11.05 के बिरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी कमांक–12/2/2006 प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 04.10.17 को पारित किया गया उक्त आदेश मे जो आवश्यक विधिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य थी उस पर बैधानिक रूप से बिचार नही किया गया जब कि निगराकार/आवेदिका द्वारा निगरानी मे सठाये गये बिन्दुओ तथा प्रकरण मे उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर ही अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 04.10.17 किसी भी प्रकार से कायम रखे जाने योग्य नही था जिसके संबंध मे सिविल न्यायालय द्वारा भी आवेदिका के स्वत्व की घोषणा की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/6316

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20 –3–18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 12–दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.10.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/6316 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 12–दो/16 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 4.10.17 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू. रा/2017/6316 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण क्रमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू. रा/2017/6316 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता हैः–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य